रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 160] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 18, 1990/चैत्र 28, 1912
No. 160] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 18, 1990/CHAITRA 28, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1990

सा.का.नि. 449(अ) :—केन्द्रीय सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1965 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा इस अधिसूचना के साथ अनुबंधित सारिणी में यथा वर्णित मुरगांव पत्तन (धर्थ सं. 9 पर मैकेनिकल अयस्क हैंडलिंग प्लांट से अयस्क तथा पी–लेट्स का शिपमेंट) विनियम, 1979 की धारा 123 द्वारा मुरगांव पत्तन के न्यासी मंडल को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके द्वारा उक्त अधिनियम में किए गए संशोधन जो गोवा सरकार के दिनांक 11-1-90 और 18-1-90 के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित हुए हैं, का अनुमोदन करती है।

[फा.सं. पी.आर. 16012/1/90 पी.जी.]

योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

मुरगांव पत्तन न्यास

अधिसूचना संख्या: जी.ए. (3) संशोधन-विनिमय/89

प्रमुख पत्तन अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 124 के साथ पठित धारा 123 के खण्डों (एफ)] (जी) और (के) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुरगांव पत्तन न्यास का न्यासी मण्डल मुरगांव पत्तन न्यास (धाट सं. 9 के यांत्रिक अयस्क सम्हलाई संयंत्र से अयस्क और गुटिकाओं का पीत लदान तथा संबंधित विषय) विनियम, 1979 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है यथा :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन विनियमों को मुरगांव पत्तन न्यास (धाट सं. 9 के यांत्रिक अयस्क सम्हलाई संयंत्र से अयस्क और गुटिकाओं का पीतलदान तथा संबंधित विषय) (संशोधन) विनियम, 1989 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम उस तारीख से प्रभावी होंगे जिस तारीख को केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है।

2. विनियम 3.5 में संशोधन :— (ए) मौजूदा विनियम 3.5 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाए :

3.5 हर एक निर्यातक जिसे एमओएचपी में प्लाट का आबंटन किया गया है उसे भंडारण प्लाट के संबंध में मण्डल के साथ करार करना होगा। इस प्रकार का करार आमतौर पर एक वर्ष के लिए किया जाएगा।

(बी) विनियम 3.6 में संशोधन : मौजूदा विनियम 3.6 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाय :—

3.6 इन विनियमों के लागू होने तथा उसके तत्काल बाद हर एक वर्ष की समाप्ति के बाद अगली अवधि के लिए भण्डारण प्लाटों के आबंटन के इच्छुक पक्षों से आवेदन की मांग करते हुए मण्डल इसकी सूचना प्रमुख स्थानीय समाचारपत्रों में छापेगा। प्लाट की आबंटन की योग्यता के लिए हर एक प्लाट से अयस्क/गुटिकाओं के पोतलदान की टर्नओवर के बारे में मण्डल न्यूनतम टन भार नियत करेगा। प्लाटों के आबंटन के लिए आवेदन निर्धारित तारीख के भीतर किये जायेंगे। हर एक आवेदक अपने आवेदनपत्र में यह बताएगा कि प्लाट किस प्रकार के अयस्क /गुटिकाओं के लिए चाहिए और आवेदन करने से 12 महीने पहले इस पत्तन के माध्यम से निर्यात किये गये अयस्क/गुटिकाओं की मात्रा के बारे में वह प्रमाणित करेगा और ... और यह भी प्रमाणित करेगा कि अयस्क/गुटिकाओं की कितनी मात्रा के लिए उसके पास निर्यात संविदाएं हैं। आवेदक के लिए "निर्यात संभावना" का आधार वर्ष के दौरान उसका निष्पादन और इसके बाद के वर्ष/वर्षों के लिए निर्यात संविदाएं होंगी जो कि दस्तावेजी के समर्थन के साथ होंगी।

(सी) विनियम 3.8 में संशोधन मौजूदा विनियम 3.8 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाए :

3.8 (1) मौजूदा प्लाटधारकों को जो कि बाद के वर्ष के लिए प्लाट के आबंटन के लिए योग्य है। जरूरतों को पूरा करने के बाद नियातक जिन्हें इससे पहले प्लाट का आबंटन नहीं किया गया है के आवेदनों पर विचार किया जाएगा और निर्यात सम्भावनाओं के आधार पर उपलब्ध प्लाटों का आबंटन किया जाएगा, जिसका कि निर्धारण हर एक निर्यातक के पास धारित निर्यात संविदाओं के आधार पर किया जाएगा।

(2) प्रत्येक आबंटन अवधि का समाप्ति के बाद हर एक निर्यातक को यह विकल्प रहेगा कि वह भण्डारण प्लाट का एक वर्ष के लिए आबंटन के हेतु नवीकरण करा सकते है बशर्ते कि समाप्त करार के शर्तों को पूरा किया हो तथा यह भी कि मण्डल को यह संतुष्ट करेगा कि आबंटन को योग्यता के लिए उसके पास पर्याप्त निर्यात संभावनायें हैं।

मुरगाव पत्तन न्यास
मुरगांव -गोवा
1 जनवरी, 1990

आदेशानुसार
ए.बी. गाडगिल
उप सचिव

बी.सं. 4197/1990

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 1990

G.S.R. 449(E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124 read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1965 (38 of 1963), the Central Government hereby approve the Amendment to Mormugao Port (Shipment of Ore and Pellets from Mechanical Ore Handling Plant at Berth No. 9 and related matters) Regulations, 1979, made by the Board of Trustees of Mormugao Port, in exercise of powers conferred on them by Section 123 of the said Act and published in the Official Gazette, Govt. of Goa dated 11-1-90 and 18-1-90, as detailed in the schedule annexed to this Notificaton.

[F. No. PR-16012/1/90-P.G.]

Sd/-
YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.

Mormugao Port Trust

Notification

2-GA(3)/Amendt-Regs/89

In exercise of the powers conferred by Clauses (f), (g) and (k) of Section 123, read with Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees for the Mormugao Port Trust hereby make the following Regulations further to amend the Mormugao Port (Shipment of Ore and Pellets from Mechanical Ore Handling Plant at Berth No. 9 and related matters) Regulations, 1979, viz:

1. *Short title* : (i) These Regulations may be called the Mormugao Port (Shipment of Ore and Pellets from Mechanical Ore Handling Plant at Berth No. 9 and related matters) (Amendment) Regulations, 1989.

(ii) They shall come into force from the date the approval of the Central Government is published in the Official Gazette.

2. (A) *Amendment to Regulation* 3.5 : Substitute the existing Regulation 3.5 by the following:

3.5: Every exporter alloted a plot in MOHP shall execute an agreement with the Board in respect of the storage plot. Such agreement shall generally be drawn for a period of one year.

(B) *Amendment to Regulation* 3.6 : Substitute the existing Regulation 3.6 by the following:

3.6: On the coming into force of these Regulations and thereafter immediately proceeding the expiry of each one year period the Board shall publish in the leading local newspapers notice calling for applications from interested parties for allotment of storage plots for the following period. The Board may stipulate the minimum tonnage turnover of shipment of ore/pellets through each plot, to qualify for allotment of that plot. Applications for allotment of plots shall be made

within the date prescribed in the notice. Every such application shall be required to state the type of ore/pellets for which the plot is desired and to certify the quantity of ore/pellets exported by the applicant through the Port during the last 12 months before such application is made and the quantity of ore/pellets for which export contracts are held by him. The performance during the year and the contract for export for the subsequent year/years supported by documents shall be the basis for determining the "export potential" for the applicant.

(C) *Amendment to the Regulation 3.8* : Substitute the existing Regulation 3.8 by the following:

3.8: (i) If after satisfying the requirement of existing plot holders who are eligible for plot allotment for the subsequent year, the applications of the new exporters who did not have plot earlier will be considered and available plots alloted according to their export potential which will be determined on the basis of export contracts held by each of them.

(ii) On expiry of each allotment period, every exporter then holding the storage plot shall have option to have the allotment renewed for a further period of one year, provided he has fulfilled the terms of agreement that expired and further provided that he proves to the satisfaction of the Board, he has sufficient export potential to qualify for allotment.

Mormugao Port Trust, By Order
Mormugao-Goa. A.B. Gadgil
1st January, 1990 Dy. Secretary.
V. No. 4197/1890

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990